



अंचल अधिकारी का राजस्व न्यायालय, कुण्डहित

आदेश फलक

नीलाम पत्र वाद सं०- 215/21-22

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में रिपोर्टी तारीख
22/11/21	जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-82/नी० दिनांक-28.11.2017 द्वारा नीलाम वाद संचालन हेतु सूची प्राप्त हुआ है। सूची के अनुसार माजीम स्टेट बैंक शाखा कागपुर द्वारा देनदार श्री/श्रीमती/सुश्री श्याम सुन्दर तबैर पिता/पति हरि नाथ तबैर, ग्राम मेलाडीह पो० कागपुर थाना जिला-जामताड़ा के विरुद्ध राशि- 42968 = 00/- रूपया ऋण लेने के एतल में नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है। ऋण वसूली हेतु देनदार को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- 07/12/21 का उपस्थापित करें। लेखापति।	
07/02/24	नीलाम पत्र पदाधिकारी, आमिलेरव उपस्थापित। देनदार द्वारा बैंक से निवृत्ति No. 24882/2017 के समर्पित किया गया। देखा। लाभ से राजस्व (एल) का मिलान किया गया। इस वाद का समेत कार्रवाई समाप्त की जाती है। देखापत्र नीलाम पत्र पदाधिकारी सह-अंचल अधिकारी, कुण्डहित।	नीलाम पत्र पदाधिकारी सह-अंचल अधिकारी, कुण्डहित।